IJAER/April-May 2013/Volume-2/Issue-3/Article No-12/478-481 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

बाल श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति एवं शिक्षा के प्रति रूचि का एक अध्ययन

मीनाक्षी*[1]

[1]शोध छात्र, साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखण्ड।

सारांश

बाल श्रम प्रतिषेद्य (निषेध) एवं विनियमन कानून, 1986 के अनुसार बाल श्रम का अर्थ हर उस काम से है, जो 14 वर्ष व उससे कम उम्र के बच्चे से उसकी इच्छा से या इच्छा के विरूद्ध कराया जाता है। श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 से 14 आयु वर्ग का हर चौथा बच्चा बाल श्रमिक है। किसी भी देश का सुनहरा भविष्य, देश की प्रगति व विकास उस देश के बच्चों पर ही निर्भर करता है। अतः जब तक बाल श्रम की इस सामाजिक समस्या को जड़ से समापत नहीं किया जायेगा तब तक देश की प्रगति व विकास संभव नहीं है। प्रस्तुत लेख में भारत में बाल श्रम की स्थिति, बाल श्रम के लिए उत्तरदायी कारणों – गरीबी व निरक्षरता, शिक्षा का रोजगारपरक ना होना, सस्ती दरों पर उपलब्धता इत्यादि बाल श्रम को रोकने के लिए किये गये प्रयासों – भारतीय संविधान में वर्णित बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेदों, इंडस परियोजना, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, शैक्षिक प्रयासों, इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है तथा मुख्य रूप से उन शैक्षिक सुझावों, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, बाल श्रमिकों के लिए छात्रावृत्तियां, श्रमिक स्कूलों की अवधि बढाकर 5 साल करना, बाल श्रमिकों के लिये आवासीय शिविरों का आयोजन, आवासीय विद्यालय व आश्रमों की स्थापना करना इत्यादि को प्रस्तुत किया गया है, जो बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने व बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

*Corresponding Author